

9. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :

- 9.1 लॉटरी के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि, लॉटरी तिथि से 2 माह के अंदर आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में, बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी। इस हेतु आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड अवश्य अंकित करना होगा और सम्बंधित दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करना होगा। 02 माह के पश्चात पंजीकरण धनराशि वापस किये जाने की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक के साधारण ब्याज दर के साथ धनराशि वापस की जाएगी।
- 9.2 यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटित फ्लैट को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20% एवं देय जी0एस0टी0 काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- 9.3 पंजीकरण धनराशि जमा करने के उपरान्त किसी भी स्थिति में आवंटन से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापस नहीं की जायेगी। जिन व्यक्तियों को आवंटन से पूर्व धनराशि वापस प्राप्त करना होगा उनके द्वारा लॉटरी से पूर्व www.registration.lalucknow.in पर आवेदन करना होगा, किन्तु धनराशि की वापसी लॉटरी सम्पन्न होने के पश्चात ही की जायेगी।

10. प्राधिकरण द्वारा फ्लैट का निर्माण 36 माह की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है। रजिस्ट्री की तिथि के 03 माह के अन्दर कब्जा प्राप्त करना होगा।

- 10.1 तल परिवर्तन की स्थिति में वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार भुगतान देय होगा तथा आवंटी द्वारा तल परिवर्तन कराने पर तल परिवर्तन शुल्क नियमानुसार देय होगा।
- 10.2 सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- 10.3 भूतल के फ्लैटों से प्रति फ्लैट विक्रय मूल्य का 5% एवं प्रथम तल पर विक्रय मूल्य का 3% पृथक से देय होगा।
- 10.4 फ्लैटों के ले-आउट/डिजाइन विशिष्टियों में परिवर्तन किया जा सकता है। रजिस्ट्री के समय फ्लैट का फाइनल लीज प्लान उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10.5 फ्लैटों का वास्तविक मूल्य प्राधिकरण द्वारा गणना किये गये क्षेत्रफल के आधार पर देय होगा।
- 10.6 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्री होल्ड चार्जेज एवं अन्य व्यय तथा स्टॉप ड्यूटी का भुगतान करने के उपरांत विक्रय विलेख निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी।

9. Cancellation of Registration & Refund

- 9.1 For unsuccessful applicants, the registration amount shall be refunded without interest to the bank account mentioned in the application within two months from the date of lottery. Bank details and supporting documents must be correctly uploaded online. If the refund is processed after 02 months, interest shall be paid at the prevailing savings bank interest rate of State Bank of India.
- 9.2 If an allottee wishes to cancel the allotted flat after allotment, 20% of the registration amount and applicable GST shall be deducted, and the balance amount shall be refunded without interest.
- 9.3 Under no circumstances shall the registration amount be refunded before allotment. Applicants seeking refund prior to allotment must apply online on **www.registration.lalucknow.in** before the lottery; however, the refund shall be processed only after completion of the lottery.

10. The Authority proposes to complete construction of flats within 36 months. Possession must be taken within 3 months from the date of registration.

- 10.1 In case of floor change, payment shall be made as per actual area, and floor change charges shall be payable as per rules.
- 10.2 Parking area has not been included in the calculation of super area.
- 10.3 An additional 5% of sale price shall be payable for ground-floor flats and 3% of sale price for first-floor flats.
- 10.4 Changes may be made in layout/design specifications. The final lease plan shall be provided at the time of registration.
- 10.5 The actual cost of flats shall be payable based on the area calculated by the Authority.
- 10.6 Execution of the sale deed shall be carried out after payment of freehold charges, stamp duty, and other applicable expenses.

11. फ्री-होल्ड शुल्क:

प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों का फ्री-होल्ड निबन्धन किया जायेगा, फ्री-होल्ड शुल्क एवं अन्य भुगतान निबन्धन से पूर्व करना होगा, जो फ्लैट के मूल्य में सम्मिलित नहीं है।

12. अन्य सामान्य नियम व शर्तें :

12.1 आवंटन के पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन /परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

12.2 किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

13. पंजीकरण प्रक्रिया:

13.1 फ्लैटों का पंजीकरण दिनांक **29 जनवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक** खोला जा रहा है, इस अवधि में अपेक्षित मांग प्राप्त न होने की स्थिति में पुनः 15 दिवस हेतु पंजीकरण अवधि बढ़ायी जा सकेगी, तदोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण में पंजीकृत चैनल पार्टनर के माध्यम से बुकिंग की कार्यवाही की जा सकेगी।

13.2 प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि में पंजीकृत कराये जाने अथवा चैनल पार्टनर के माध्यम से बुकिंग कराये जाने, दोनों ही स्थिति में आवंटन लॉटरी के माध्यम से ही जायेगा।

13.3 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक **29 जनवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक ₹1100.00** (जी0एस0टी0 सहित) (नॉन-रिफंडेबल) का ऑनलाइन भुगतान कर <https://registration.lalucknow.in/> से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

13.4 पंजीकरण फार्म ऑनलाइन भरे जाएंगे तथा पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।

13.5 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, शपथ पत्र को ऑनलाइन ही स्व-प्रमाणित करना अनिवार्य है।

14. तथ्यों का छिपाना :

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, एवं अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकते हैं।

11. Freehold Charges

Flats allotted by the Authority shall be converted to freehold. Freehold charges and other dues shall be paid prior to registration and are not included in the flat cost.

12. General Terms & Conditions

12.1 After allotment, all prevailing rules and conditions of Lucknow Development Authority and amendments made from time to time by the Authority or Government shall be applicable and binding.

12.2 Jurisdiction for any dispute shall be Lucknow.

13. Registration Process

13.1 Registration will remain open **From 29 January, 2026 to 28 February, 2026**. If sufficient demand is not received, the registration period may be extended by 15 days. Thereafter, booking may be done through LDA-registered channel partners.

13.2 Whether through direct registration or channel partners, allotment shall be done only through lottery.

13.3 The brochure can be downloaded online between **29 January, 2026 to 28 February, 2026** by paying ₹1100 (including GST, non-refundable) from **<https://registration.lidalucknow.in>**

13.4 Registration forms shall be filled online and registration amount shall be deposited online only.

13.5 Self-attestation of the affidavit in the online application form is mandatory.

14. Hiding of Facts

If any information provided by the applicant is found to be false or if any material fact is concealed, the Vice-Chairman, Lucknow Development Authority, shall have full authority to cancel the allotment/registration and forfeit the deposited amount, along with taking any other action deemed appropriate.